

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 41/2011	विक्रम संवत् 2068	3(कृ०) पौष 1933 (शा०) जमशेदपुर, मंगलवार, 13/12/11
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिसूचना।		
विषय सूची		पृष्ठ संख्या
1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना।		01-04

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -827

दिनांक -25.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **डुमुरडीहा**, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं०- **524**, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **सरडीह उप वितरणी ओ० एल० 58** निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **डुमुरडीहा**, के भीतर भूमि का **102** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **18.10** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या-758, 383, 382, 378, 377, 353, 297, 299, 279, 236, 235, 224, 225, 232, 229, 228 तथा अंश खेसरा संख्या- 12, 15, 13, 384, 385, 386, 400, 399, 387, 14, 17, 388, 380, 373, 379, 22, 23, 375, 374, 357, 356, 354, 351, 352, 355, 32, 36, 35, 37, 39, 45, 44, 46, 47, 48, 52, 49, 50, 51, 157, 302, 339, 338, 334, 303, 304, 305, 307, 312, 296, 298, 300, 291, 285, 286, 289, 287, 288, 280, 277, 278, 281, 282, 245, 247, 249, 248, 246, 244, 223, 240, 237, 234, 231, 230, 226, 227, 163, 164, 165, 166, 162, 161, 157, 376 एवं 160

**चौहदी खण्ड-क**

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-12, 15, 14, 382, 22, 23, 355, 32, 35, 37, 39, 45 एवं 46

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-47 एवं 46

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-44, 39, 37, 35, 352, 351, 354, 356, 357, 374, 379, 373, 380, 381, 388, 399, 400, 386, एवं 385,

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-उदाल नं०-523

लगातार-2

(2)

### चौहदी खण्ड-ख

उत्तर :- } अंश खेसरा संख्या- 46, 47, 48, 52, 21, 57, 302, 339, एवं 334  
पूरब :- }  
दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-334  
पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-334, 338, 339, 157, 302, 50, 49 एवं 47,

### चौहदी खण्ड-ग

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 305, 300, 291, 285, 281, 282, 249, 245, 244, 223, 240, 237, 231, 230, 229, 63, 302, 157,  
पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-वनकाटी नं0-525  
दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-160, 161, 166, 165, 164, 227, 226, 225, 247, 249, 277, 280, 287, 288, 289, 291, 296, 312, 307 एवं 334  
पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-334,  
नोट :- अनावाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-381, 349, 158, 159, 239 का रकबा 0.24 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-3

(3)

ज्ञापांक 827 /

जमशेदपुर,

दिनांक -25.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -828 /

दिनांक -25.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम -  
**वनकाटी चादर नं0-2**, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- **525**,  
जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **सरडीह उप वितरणी ओ0 एल0 58** निर्माण  
के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा  
अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **वनकाटी चादर नं0-2**, के  
भीतर भूमि का **32** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **7.83** एकड़ के बराबर  
होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 1177, 1349, तथा अंश खेसरा संख्या- 1112, 1113,  
1115, 1146, 1178, 1179, 1176, 1182, 1175, 1183, 1185, 1184, 1252, 1194, 1195, 1196, 1200,  
1201, 1205, 1204, 1202, 1203, 1252, 1257, 1265, 1267, 1266, 1274, 1348 एवं 1351

**चौहदी**

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-पी0 एफ0 1187,1146,1178,1179,1182,1185,1184,1183,1252,1194,  
1200,1201,1204, 1202, 1203, 1258, 1263, 1267, 1274, 1273, 1304, 1350, 1351, 1346 एवं 1352

पूरब :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम- माटिया बाँधी नं0-526

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-1352, 1346, 1351, 1348, 1304, 1263, 1273, 1274, 1266, 1265,  
1257, 1252, 1204, 1205, 1201, 1200, 1196, 1195, 1252, 1183, 1175, 1176, 1146,  
1115, 1113, 1112, एवं पी0 एफ0 1187

पश्चिम:- मिलान चादर नं0-1

लगातार-4

(4)

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-1258, 1273, 1350, 1346, का रकबा 0.78 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या पी0 एफ 1187 1264, 1263, 1304, 1352, का रकबा 6.95 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 828

/

जमशेदपुर,

दिनांक -25.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।